

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम : परिवार नियोजन (महिला/पुरुष सरकारी अस्पतालों में बंध्याकरण/नसबंदी के लिए क्षतिपूर्ति राशि) "Compensation Male Sterilization"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष नसबंदी की सुविधा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति के रूप में रू० 1100/- राशि देय है।

इकाई राशि - निम्नवत्
सरकारी अस्पतालों के लिए :

कार्यक्रम	कुल राशि	ऑपरेशन कराने वाले लाभार्थी	सर्जन	एनेस्थेटिस्ट	स्टाफ नर्स	ओ० टी०	दवाईयाँ / ड्रेसिंग	अल्पाहार आदि	कैम्प प्रबंधन	प्रेरक
नसबंदी	1500	1100	100	..	15	15	50	10	10	200

वित्तीय दिशा निर्देश : पत्र संख्या सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007 एवं एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से इस गतिविधि के लिए दिशा निदेश भेजी गई है वर्तमान में भी इसी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

Note: Quality of all camps to be maintained as per Red & Blue books and the satisfaction of the District Level Quality Assurance Committee.

The red and Blue Books are uploaded onto the website of State health Society Bihar in Family Planning section

Check List : Red Book का Annx. 1.

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र:

(क) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007

(ख) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम - डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971

13/7/13

13/7/13

13/7/13